

संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे.-1/आर. टी. आई./2226/ 95

दिनांक:15.06.2023

सेवा में,

श्री अंकुश कुमार,
पुत्र श्री फकीर चन्द, निवासी ग्राम महेश्वरी,
परगना व तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार
मोबाइल न. 7900962810

विषय :आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2023 के संदर्भ में |

महोदय,

आपके आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2023 के संदर्भ में आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी चाही है | इस संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि जिन बिंदुओं पर आपने सूचना मांगी है उन बिंदुओं पर आप पहले अपने आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 19.04.2023 के माध्यम से जानकारी मांग चुके है | आपको पावरग्रिड के पत्र संदर्भ संख्या: पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर. टी. आई./2221/33 दिनांक 28.04.2023 एवं पत्र संदर्भ संख्या:एन.आर.-1/रुडकी/आरटीआई/22-23/440 दिनांक 06.05.2023 के माध्यम से जानकारी दी जा चुकी है |

इस संदर्भ में सम्बंधित पावरग्रिड कार्यालय से पुनः जानकारी लेने के उपांत आपको अवगत कराया जाता है कि पावरग्रिड के रिकॉर्ड के अनुसार उल्लेखित खसरा संख्या 290 पर कोई मुआवजा जारी नहीं किया है | अगर आपके पास आपसे सम्बंधित कोई फसल एवं वृक्ष क्षति का कोई दस्तावेज है या कोई दस्तावेज पावरग्रिड ने आपको दिया हो तो उसे रुडकी स्थित पावरग्रिड कार्यालय में दिखा कर अपने मामले के बारे में बात कर सकते है | उप्रोक्त पत्रों की प्रति संलग्न है |

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा, कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1), प्रथम अपीलीय प्रधिकारी
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,
SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002,
फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद |

भवदीय

[जी. पी. पयासी]

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना एवं अभियांत्रिकी)
एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड, उ. क्षे. -1
फोन न.0129-2666305